फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री धरमा डांगी
किस्म मुकदमा :– 212 R.T.A.

विपक्षी :– श्री तुलसीराम डांगी वगैरह
पत्रावली संख्या :– 06/21 (प्रार्थना पत्र)

GCMS NO : 2021/31

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.05.2024 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पूर्व तारीख पेशी दिनांक 31.05.2024 को सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण के तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को पाबंद किया जावे कि विपक्षीगण को बेदखल नही करें। हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम नामरी पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 131 पर दर्ज आराजी नम्बर 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 किता 11 कुल रकबा 17.18 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करने अपने हिस्से भूमि को पृथक करवाना चाहता है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने एवं प्रकरणग्रस्त आराजीयात को ताकत के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर उतारू है। साथ ही विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण का मौके पर क्षेत्रफल बराबर होकर 20 वर्षो से खेती कर रहे है प्रार्थी को पाबंद करे की विपक्षीगण को कब्जे काश्त में बेदखल नही करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार कोई भी सहखातेदार बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य नही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

कर सकता है। जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता है तक सभी सहखातेदारो को प्रत्येक इंच पर बराबर हक हिस्सा निहित होता है। मौके पर यदि विपक्षीगण किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लेते है तो ऐसे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षीगण को प्रार्थी कब्जे काश्त से बेदखल कर देते है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार मौके पर विवाद अधिक बढने की संभावना प्रतित होती है। ऐसे में उभय पक्षो को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपर्युक्त विवेचन कि आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षो को मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नामरी पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 131 पर दर्ज आराजी नम्बर 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 किता 11 कुल रकबा 17.18 हैक्टर भूमि की रिर्कोड तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested